

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 1(4)()/स्था./सान्याअवि/22/9016 जयपुर, दिनांक :- 20/06/2022

विज्ञप्ति

निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर/राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड/अन्य विभिन्न आयोगों/बोर्डों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52 रिक्त पदों के विरुद्ध राज्य सरकार से सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ17(10) डीओपी/ए-11/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए पुनर्नियुक्ति की जानी है।

अतः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर जो सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुनर्नियुक्ति चाहते हैं, वे निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2022 तक निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः जमा करा सकते हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9414581710 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।



(ओ. पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव